267

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी क्र0 नि. 1870-III-14 सन्

महेश पाल तनय हल्काई पाल ना0बा0सर0
पिता स्वयं हल्काई पाल निवासी ग्राम पटना
जिला छतरपुर म0प्र0 --------------- **आवेदक**

श्री के.के. द्विवेदी द्वारा आज दि. 24-6-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24/6/14 राजस्व मण्डल म.प्र.

बनाम

1 – श्रीमती सुमन पत्नी कालीचरण नट
2 – कालीचनरण तनय केसरी नट
दोनो निवासी ग्राम पटना तहसील चंदला
जिला छतरपुर म0प्र0 --------------- **अनावेदकगण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0
निगरानी आदेश विरूद्ध श्रीमान् अपर कलैक्टर महोदय छतरपुर के प्र0क्र0 36/बी–212/2007–08 आदेश दिंनाक 20/05/20 से दुखी होकर

महोदय,

आवेदक निम्न विषयांकित निगरानी प्रस्तुत करता है :–

1 – यह कि निगरानी प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि भूमि आरानी 302 रकवा 0.494हे0 स्थित मौजा पटना तहसील चंदला जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि पटवारी राजस्व अभिलेख में अनावेदक क्र0 02 कालीचरण के नाँम भूमि स्वामी पर दर्ज थी जिसका अनावेदक क्र0 02 के द्वारा आवेदक महेश पाल को दिनांक 14/10/2005 एवं 29/04/2006 को 31,000/– तथा 35,000/– रूपया नगद प्राप्त कर पंजीयन कार्यालय लवकुशनगर से पंजीयन करा दिया था तथा मौके पर आवेदक को कब्जा मालकाना हक सौप दिया था विक्रय पत्रों के आधार पर तहसीलदार महोदय चंदला ने विधिवत प्रक्रिया का पालन कर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किया वर्तमान समय में आवेदक भूमि स्वामी हक पर दर्ज है। मौके पर कब्जा है। लेकिन अनावेदिका क्र0 01 सुमन ने एक फर्जी शिकायत अपर कलैक्टर महोदय छतरपुर के यहां पेश की उसी शिकायत के आधार पर श्रीमान् अपर कलैक्टर महोदय छतरपुर ने प्रकरण स्वयं प्रेरणा निगरानी में दर्ज कर कार्यवाही कर दोनों विक्रय पत्र एवं अनावेदक क्र0 02 का पट्टा निरस्त कर जिससे दुखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश से दुखी होकर प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार

2 – यह कि प्रस्तुत निगरानी श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समय सीमा के अंदर सुने जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1870-तीन/2014 जिला छतरपुर महेश विरूद्ध सुमन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 36/बी-212/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 20-05-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-06-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

16.01.19

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । 16-01-19 (आर.के. जैन) सदस्य	